न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2025/333
मुकदमा नम्बर 93/2025 दर्ज दिनांक– **17.06.2025**

सरोज कंवर पत्नी सुरज प्रताप सिंह, जाति– राजपूत, निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
—**आवेदक**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
—**अनावेदक**

वकील आवेदक : – श्री अमर सिंह
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ०धा० 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में अवस्थित भूमि खाता सं. 186 नया के अन्तर्गत खसरा नं. 1523 रकबा 0.95 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम सम्पत सिंह के स्थान पर सूरज प्रताप सिंह दुरूस्त किया जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में अवस्थित भूमि खाता सं. 186 नया के अन्तर्गत खसरा नं. 1523 रकबा 0.95 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम सम्पत सिंह के स्थान पर सूरज प्रताप सिंह, दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू